भ्रष्टाचार के बदलते आयामः समाज-दार्शनिकी विश्लेषण एवं विधिशास्त्रीय समाधान

डॉ. अदिति श्रीवास्तव

सारांश

भ्रष्टाचार एक सार्वभौमिक व व्यापक समस्या है जिससे समाज का प्रत्येक व्रर्ग किसी न किसी रूप में प्रभावित है। अधिकांश दार्शनिकों ने इस समस्या को एक सामाजिक या आर्थिक समस्या के रूप में ही देखा है, बहुत कम जगह इसके नैतिक या दार्शनिक-पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय भ्रष्टाचार को परिभाषित नहीं करता अपितु इसे बढ़ाने वाले आपराधिक कृत्यों को सूचीबध्द करता है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार बहुमुखी है, उसी प्रकार इसके कारण भी बहुमुखी है। किसी राज्य में भ्रष्टाचार का अस्तित्व उस राज्य की मानवाधिकारों के दायित्वों के प्रति विफलता को दर्शाता है। मानवाधिकारों का अनुपालन निश्चित ही भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा क्योंकि मानवाधिकार, शक्ति के उस दुरूपयोग को रोकता है, जो भ्रष्टाचार का आधार बनता है। भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन के नवीन प्रयास उस समय हो रहे हैं, जब वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन की ओर जागरूकता बढ़ी है। इस पृष्ठभूमि में यह शोध पत्र वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के बदलते आयामों का समाज दार्शनिकी विश्लेषण कर उसके विधिशास्त्रीय समाधानों को खोजने में सहायक होगा।

मुख्य शब्द- भ्रष्टाचार के कारण,ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल,औपचारिक न्याय

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

भ्रष्टाचार एक सार्वभौमिक एवं व्यापक समस्या है जिसे समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी रूप में प्रभावित है। प्रसिध्द ब्रिटिश इतिहासकार **लार्ड एक्टन**[1] के अनुसार शक्तियाँ, भ्रष्टचार की ओर ले जाती हैं और अत्यंतिक शक्ति, अत्यंतिक रूप से भ्रष्ट बनाती है। (Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely) किसी भी व्यक्ति की नैतिकता की भावना, उसे प्रदत्त शक्तियों पर निर्भर करती है, अर्थात जैसे-जैसे किसी व्यक्ति को मिलने वाली शक्तियों में बढ़ोत्तरी हो जाती है, वैसे-वैसे उसकी नैतिक भावना कम होती जाती है।

यद्यपि एक आम व्यक्ति भ्रष्टाचार को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखता है, तथापित विभिन्न विद्वान इसे आर्थिक प्रगति में एक बाधा के रूप में देखते हैं। फलतरु यह प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न होता है कि क्या भ्रष्टाचार इसलिये गलत है क्योंकि वह अन्यायपूर्ण है अथवा वह प्रगति के लिये नुकसानदायक या बाधक होने के कारण गलत है। अधिकांश दार्शनिकों ने इस समस्या को एक सामाजिक या आर्थिक समस्या के रूप में ही देखा है, बहुत कम जगह इसके नैतिक या दार्शनिक-पक्ष पर प्रकाश डाला गया है।[2]

Corruption शब्द लैटिन शब्द Corruption से आया है जिसका अर्थ नैतिक पतन, चालाकीपूर्ण व्यवहार या जीर्ण-शीर्ण होता है। भ्रष्टाचार एक सार्वभौतिक बुराई है, तथापि हम इसकी कोई एकमत परिभाषा नहीं पाते हैं। **जोसेफ एस.ने**[3] के अनुसार-भ्रष्टाचार व्यक्ति को लोक कल्याण के कार्यो से, व्यक्तिगत धन लाभ या पद-लाभ की तरफ दिग्भ्रमित करता है। **माइकल जॉन्स्टन**[4] ने भ्रष्टाचार को सावैजनिक पदों का दुरूपयोग और व्यक्तिगत लाभ का संसाधन (Abuse of Public Roles) कहाँ है। भ्रष्टाचार की दी गयी परिभाषायें या तो इसे बहुत उच्च मानकों पर देखती हैं या इसके बहुत छोटे-छोटे उदाहरणों पर दृष्टिपात करती है। इससे एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम आखिर किन कार्यो को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखें और किन कार्यो को इससे सर्वथा पृथक रखें।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि भ्रष्टाचार शब्द नैतिकता की ओर अंगित करता है। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, भ्रष्टाचार के 9 अर्थ बताती है व इन्हें सूचीबध्द करती है। मिलर, रॉबटर्स और स्पेन्सर जैसे दाशैनिक मानते हैं कि भ्रष्टाचार, नैतिक दुराचार की ही एक प्रजाति है। भ्रष्टाचार की परिभाषा में सबसे ज्यादा प्रचलित है-लोक कल्याण के लिये मिली हुई शक्तियों का व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत लाभ या पद लाभ हेतु इस्तेमाल करना।

भ्रष्टाचार के संदर्भ में कई भ्रांतियां भी उत्पन्न होती हैं। जो सबसे अहम भ्रांति है वो यह है कि यह लोक शक्तियों को व्यक्तिगत लाभ के लिये इस्तेमाल करने से उत्पन्न होता है, क्योंकि लोक शक्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिये इस्तेमाल, हमेशा भ्रष्टाचार की श्रेणी में आये, ये जरूरी नहीं, जैसे-

मानवाधिकार का दमन, युध्द, जो तानाशाहों को सीधे तौर पर लाभ पहुँचाते हैं, इन्हें भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तब प्रश्न यह उठता है कि फिर किसी तरह के व्यक्तिगत लाभ के लिये शक्तियों का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तब प्रश्न यह उठता है कि भ्रष्टाचार, अन्य अनैतिकताओं से किस प्रकार से भिन्न है और भ्रष्टाचार व अन्य अनैतिकताओं में क्या संबंध है।

अब प्रश्न यह उठता है कि निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार और सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार में क्या अंतर है। क्या इनमें कुछ मूलभूत अंतर है। क्या भ्रष्टाचार की कोई सार्वजनिक विशेषता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अभी विचारणीय है, जिन पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

भ्रष्टाचार की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण बिन्दु व्यक्तिगत लाभ है। लोक शक्तियों का दुरूपयोग, जो व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं अपितु लोक कल्याण के लिये किया गया हो, भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार को **हितार्थ भ्रष्टाचार** (Noble Cause Corruption) कहा गया है। भ्रष्टाचार के मुख्य अंग व्यक्तिगत लाभ से तात्पर्य अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, राजनैतिक पार्टी को न केवल आर्थिक मदद पहुँचाना है, अपितु शक्ति या सत्ता का किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त करना है।

भ्रष्टाचार की कोई एकमत परिभाषा नहीं है, प्रायरु भ्रष्टाचार को एक अनैतिक कार्य माना गया है, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिये लोक विश्वास या पद का इस्तेमाल किया जायेगा। इस तरह की परिभाषाएं दो प्रकार के भ्रम उत्पन्न करती हैं-ये भ्रष्टाचार को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में रखती हैं, जबकि निजी क्षेत्र में इनमें अछूता है। ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल[6] के अनुसार भ्रष्टाचार, प्रदत्त शक्तियों का व्यक्तिगत लाभ है। अभी तक दी गई भ्रष्टाचार की परिभाषाओं में मात्र ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल ने, निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार की परिभाषा शामिल किया है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार की कई परिभाषाएं दी गयी है। रॉबर्ट क्लिटगार्ड[7] ने एक समीकरण के द्वारा भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है-भ्रष्टाचार = एकाधिकार शक्ति + विवेक - जवाबदेही (Corruption = Monopoly Power + Discretion - Accountability) जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम[8] (United Nations Development Program - UNDP) ने भ्रष्टाचार को इस तरह परिभाषित किया है कि-भ्रष्टाचार (एकाधिकार = शक्ति + विवेक)-(जवाबदेही + पारदर्शिता + अखण्डता) Corruption = (Monopoly Power + Discretion) - (Accountability + Transparancy + Integrity).

2. **भ्रष्टचार के प्रकार** - भ्रष्टाचार के समझने में अभी तक आर्थिक अपराधों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जैसे घूस, छल आदि। वर्ष 1977 के पहले अमेरिकी कम्पनियों के लिये विदेशी अनुबंध को पाने के लिये घूस देना अनैतिक नहीं था। भ्रष्टाचार जरूरी तौर पर गैर कानूनी हो एकसा नहीं है। ऐसा इसलिये क्योंकि भ्रष्टाचार कानून का ही विषय नहीं अपितु यह मूलतः नैतिकता का विषय भी है। ऐसे उदाहरण जिनमें

कोई कृत्य अन्यायपूर्ण तो हैं किन्तु वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है, किन्तु वह नैतिकता के स्तर पर घृणिता है।[9]

भ्रष्टचार के कुछ ऐसे भी रूप हैं जो हर तरह की व्यवस्थाओं में व्याप्त है, जैसे-वृहद स्तरीय भ्रष्टाचार (Grand Corruption), लघु स्तरीय भ्रष्टाचार (Petty Corruption), सक्रिय भ्रष्टाचार (Active Corruption), निष्क्रिय भ्रष्टाचार (Passive Corruption), राजनैतिक भ्रष्टाचार (Political Corruption), योजनाबध्द भ्रष्टाचार (Systematic Corruption) आदि।

1. **वृहद स्तरीय भ्रष्टाचार (Grand Corruption)**- जब कोई उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी किसी नीति का इस्तेमाल, जन-धन की कीमत पर स्वयं को समर्थ बनाने में करता हैं, तो उसे वृहद स्तरीय भ्रष्टाचार कहते हैं।

2. **लघु स्तरीय भ्रष्टाचार (Grand Corruption)** - जब कोई उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी किसी नीति का इस्तेमाल, जन-धन की कीमत पर स्वयं को समर्थ बनाने में करता हैं, तो उसे लघु स्तरीय भ्रष्टाचार कहते हैं।

3. **वृहद स्तरीय भ्रष्टाचार (Economic Corruption)** - यह भ्रष्टाचार का एक अहम रूप है। सिर्फ आर्थिक लाभ ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार की वजह नहीं है, अपितु प्रतिष्ठा, शक्ति, नशीले पदार्थो के सेवन की लत, जुआ खेलना, यौन तुष्टिकरण भी आर्थिक लाभ की वजहें हैं।

4. **वृहद स्तरीय भ्रष्टाचार (Political Corruption)** - यह भी व्यक्तिगत लाभ के लिये किया जाता है।

5. **वृहद स्तरीय भ्रष्टाचार (Systematic Corruption)** - योजनाबध्द भ्रष्टाचार तब कहलाता है जब यह पूरे समाज में व्याप्त हो जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें कोई प्रमुख संस्थान किसी भ्रष्ट व्यक्ति के द्वारा संचालित हो।

3. **भ्रष्टाचार के कारण** - जिस प्रकार भ्रष्टाचार बहुमुखी है, उसी प्रकार इसके कारण भी बहुमुखी या विभिन्न प्रकार के हैं। कॉमनवेल्थ लॉयर्स कान्फ्रेंस में रिंगेरा[10] के द्वारा दिये गये भाषण के अनुसार भ्रष्टाचार के मुख्य प्रकार-आर्थिक, संस्थागत, राजनैतिक और सामाजिक हैं। भ्रष्टाचार का कारण आर्थिक है, जो कि व्यक्ति की जरूरत से उपज है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल भी गरीबी व कम वेतन को इस प्रकार के भ्रष्टाचार का मुख्य कारण मानता है।

भ्रष्टाचार का संस्थागत कारण, लोक सेवक को मिला एकाधिकार व जरूरत से ज्यादा प्रदत्त

विवेकाधिकार है। इसके अलावा जवाबदेही या उत्तरदायित्व की समझ न होगा, कानून को लागू करा पाने में अक्षमता व कमजोर सामाजिक ढाँचा इसके मुख्य कारण है।

भ्रष्टाचार का राजनैतिक कारण, राजनैतिक पार्टियों या संस्थाओं द्वारा राजनैतिक शक्तियों या सत्ता को अर्जित करने की चाह या लालच से उत्पन्न होता है। इसके अलावा सामाजिक कारण, समुदाय के व्यवहार पर निर्भर करता है।

4. **भ्रष्टाचार व उसकी जटिलताएं -**

(क) भ्रष्टाचार का प्रभाव - भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के लिये डरबन प्रतिबध्दता[11] (The Durban Commitment of Effective Action Against Corruption 1999) के अनुसार भ्रष्टाचार गरीबी को और बढ़ावा देता है, मानवाधिकारों को आधारहीन बनाता है, प्रगति को मार्ग से भटका देता है, यह देश में या दो देशों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देता है। बेलॉगन[12] के अनुसार इसकी गंभीरता के अनुसार भ्रष्टाचार में वह क्षमता है कि यह अकर्मण्यता को पुरस्कृत कर सकता है, कर्मण्यता को दण्डित कर सकता है, देश की सुरक्षा व सम्प्रभुता के साथ समझैता कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था व सतत विकास को मृतप्राय भी कर सकता है। भ्रष्टाचार, निवेश को निम्न स्तर करती है, जो कि आर्थिक निष्पादन को बुरी तरह प्रभावित भी करता है। यह प्रभावित लोगों के अधिकारों का हनन करता है तथा उन पर असंगत प्रभाव डालता है, जो किसी न किसी रूप में समाज के कमजोर वर्ग में आते हैं, जैसे-महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, प्रवासी कर्मचारी, विकलांग व्यक्ति, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित, बंदी और गरीब जनता आदि। इन सबसे परे, भ्रष्टाचार, राजनैतिक प्रणाली की अखण्डता को प्रभावित करता है, साथ ही न तो यह मानवाधिकारों को सरंक्षित करता है, न ही मानव स्वतंत्रता को पदोन्नत करता है और न ही लोकतंत्र को विकसित करता है। भ्रष्टाचार, विभेदीकरण व अन्याय को इंगित करता है तथा मानव गरिमा के प्रति अनादर को दर्शाता है।

(ख) औपचारिक न्याय का उल्लंघन : एक भ्रष्टाचार- भ्रष्टाचार, मानवशास्त्र के क्षेत्र से इतर, नैतिक व आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है। जॉन रॉल्स के औपचारिक न्याय (Formal Justice) के विचारों से हम भ्रष्टाचार को और बारीकी से समझ सकते हैं, यद्यपि इन्होंने अपने सिध्दांतों में भ्रष्टाचार की समस्या पर चर्चा नहीं की है। रॉल्स का मूल न्याय का सिध्दांत (Substantive) समान स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता के बारे में बात करता है।

मूल न्याय का सिध्दांत किसी भी संस्था के नियमों के बारे में बात करता है, जबकि औपचारिक न्याय उसके क्रियान्वयन के बारे में कहता है। औपचारिक न्याय के अनुसार विधि एवं संस्थाएं, सभी प्रकार समान रूप से लागू होनी चाहिए।

औपचारिक न्याय का, राजनैतिक प्रक्रिया में निर्वाचकीय, विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उल्लंघन हो सकता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार भी निर्वाचकीय भ्रष्टाचार, विधायी भ्रष्टाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं।

भ्रष्टाचार के विभिन्न लेख, सरकारी शक्ति तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर से ही इंगित करते हैं, न कि निजी क्षेत्र की ओर जबकि भ्रष्ट नीतियां, सरकारी तंत्र व स्वतंत्र व्यक्ति विशेष के बीच ही होती है। भ्रष्ट कार्यों का संपादन सबसे पहले व्यक्ति विशेष द्वारा अपने कार्यों को उचित या अनुचित तरीके से कराने को लेकर सामने आता है।

कुछ विद्वान भ्रष्टाचार को लोगों के विश्वास के साथ धोखे के रूप में भी चिन्हित करते है, परन्तु इससे भ्रष्टाचार को समझना थोड़ा जटिल है क्योंकि जब एक सरकार, राजनेता या कोई व्यक्ति अपने किये वायदे को पूरा नहीं कर पाता है तो यह विश्वास के साथ धोखा तो है, परन्तु भ्रष्टाचार नहीं, यद्यपि यह भ्रष्टाचार के एक नैतिक पहलू को अवश्य दर्शाता है। सरकारी तंत्र में उम्मीद की जाती है कि वह कानून का अनुपालन सही तरीके से करे और लोगों से समान व्यवहार करें।

निष्ठा के सिध्दांत[13] (Principle of Fidelity) का विच्छेद जब किसी निजी व्यक्ति के बीच होता है, तब उसे विश्वासघात कहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं, जब यही काय्र किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, जो किसी निजी संस्था का संचालन करता है, किया जाता है, तब हम उसे भ्रष्ट कहते हैं। जब कोई नागरिक किसी प्राईवेट संस्था के कर्मचारियों को अपने अनैतिक कार्यो से प्रभावित करने की कोशिश करता है, तब हम उसे भ्रष्ट कहते हैं।

लोक शक्ति का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार को परिभाषित करने के लिये पर्याप्त शब्द नहीं हैं। कई बार निजी संस्थान की शक्तियां भी सामान्य जनता को प्रभावित करती है। हम भ्रष्टाचार को, अपने साध्य के लिये, शक्ति का इस्तेमाल करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि लोक अधिकारी और निजीकर्ता द्वारा औपचारिक न्याय का उल्लंघन करता है और जो जनसाधारण के साथ विश्वासघात करता है, वह निष्पक्षता के दायित्व का उल्लंघन करता है।

5. **भ्रष्टाचार व मानवाधिकार -** भ्रष्टाचार व मानवाधिकार के बीच एक कड़ी है। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तब मुख्यतरु हम इसकी वजह से पड़ने वाले आर्थिक परिणामों की ही बात करते हैं और हम मानवाधिकारों पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज कर देते है। तमाम लेखकों

ने गंभीर आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक आपदा को इंगित किया है, जो कि देश व उनके नागरिकों के मूल अधिकगारों व स्वत्रंता को खंडित करती है।

मानवाधिकारों के न्यायशास्त्र के अनुसार मानवाधिकारों का संरक्षक, राज्य है। मानवाधिकारों का दायित्व सरकार के सभी तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका) फर, इसके सभी स्तरों पर (राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानीय) लागू होता है। भ्रष्टाचार, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा हो सकता है। किसी राज्य में भ्रष्टाचार का अस्तित्व, उस राज्य की मानवाधिकारों के संरक्षक के प्रति विफलता को दर्शाता है, अर्थात राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण में असमर्थ है। भ्रष्टाचार, समानता, मानव गरिमा व व्यक्ति स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार द्वारा मानवाधिकारों के मूल पर हुये आघात का ही परिणाम है।[14]

भ्रष्टाचार व मानवाधिकार, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जहां भी भ्रष्टाचार का प्रसार होगा, वहाँ मानवाधिकारों का हनन जरूर होगा। इसी प्रकार जहाँ मानवाधिकारों की मुखरता होगी, वहाँ सामाजिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक जवाबदेही अवश्य होगी। भ्रष्टाचार के कारण और मानवाधिकारों के हनन के तीन अतर्संबंध हैं-प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा दूरगामी कारण। भ्रष्टाचार द्वारा मानवाधिकारों का हनन तब प्रत्यक्ष रूप से होता है, जब कोई भ्रष्ट कार्य जान बूझकर अधिकारों के हनन के लिये किया जाता है। जैसे किसी न्यायधीश को मिलने वाली घूस, उसकी स्वतंत्रता व पारदर्शिता को प्रभावित करती है, साथ ही निष्पक्ष सुरवाई के अधिकार का भी हनन करती है।

भ्रष्टाचार द्वारा मानवाधिकारों का हनन तब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जब अधिकारों का हनन एक जरूरी शर्त हो, जैसे यदि कोई लोक अधिकारी, घूस के बदले किसी दूसरे देश के विषाक्त अपशिष्ट (Toxic Waste) को अवैधानिक रूप से आयात करने की अनुमति देता है और यह अपशिष्ट किसी रिहायशी इलाके में रखा जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार द्वारा मानवाधिकारों का हनन है क्योंकि यदि वह विषाक्त अपशिष्ट, उस रिहायशी इलाके में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो यह घूस के परिणाम के रूप में उन नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य के अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से हनन करती है।

भ्रष्टाचार द्वारा मानवाधिकारों का हनन तब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जब अधिकारों का हनन एक जरूरी शर्त हो, जैसे यदि कोई लोक अधिकारी, घूस के बदले किसी दूसरे देश के विषाक्त अपशिष्ट (Toxic Waste) को अवैधानिक रूप से आयात करने की अनुमति देता है और यह अपशिष्ट किसी रिहायशी इलाके में रखा जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार द्वारा मानवाधिकारों का हनन है क्योंकि यदि वह विषाक्त अपशिष्ट, उस रिहायशी इलाके में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित

करता है तो यह घूस के परिणाम के रूप में उन नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य के अधिकारों का अप्रत्यक्ष रूप से हनन है।

कभी-कभी भ्रष्टाचार अपने दूरगामी रूप में मानवाधिकारों का हनन करता है, जैसे जब चुनावी प्रक्रिया के समय भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब सामाजिक अशांति व विरोध पैदा होात है। उस स्थिति में राजनैतिक सहभागिता के अधिकारों का सीधे हनन होता है।

(क) सिविल एवं राजनैतिक अधिकार-

मूलतः भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। समानता व अविभेदीकरण, ये मानवाधिकारों के दो मूलभूत सिध्दांत है। सभी मानवाधिकारों अधिसमयों में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि सभी व्यक्त विधि के समक्ष समान है और उन्हें विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। कई मानवाधिकार अभिसमयों में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की बात पायी जाती है, जो कि न्याय का निष्पक्ष, प्रभावशाली व सक्षम शासन तंत्र मुहैय्या कराता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र, प्रभावी उपचार के अधिकार का दायित्व लेते है। वे दावे के साथ कहते है कि यदि मानवाधिकारों का हनन होता है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पीड़ित को प्रभावी उपचार दिलायें। इस कार्य में विफल होने पर दण्ड अवमुक्ति का एक माहौल बन सकता है, विशेषतः तब, जब राज्य जानबूझ्कर या लगातार इसके उपचार में विफल होता जाये। राज्य का यह दायित्व है कि वह सुलभ, प्रभावी व प्रवर्तनीय, सिविल व राजनैतिक अधिकारों को मुहैय्या करायें।[15]

सहभागिता का अधिकार यह कहता है कि सभी नागरिक उस आत्म निर्णय की प्रक्रिया के हकदार है, जो उन्हें प्रभावित करती है। सहभागिता के अधिकार का राजनैतिक रूप, मतदान देने की आजादी व चुनाव में खड़े होने की आजादी है। लोक सेवाओं में समान सहभागिता व संघ व विधानसभा की स्वतंत्रता है। कई मानवाधिकार अभिसमयों में ये अधिकार सुरक्षित है। यह सर्वविदित है कि मतदाता को मतदान के लिये घूस देना या उसे मतदान करने से रोकना, उसके आत्म निर्णय के अधिकार को भंग करता है।

(ख) आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार -

आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा-1966 के तहत यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्तिगत तौर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय सहायता के द्वारा ऐसे कदम उठाये ताकि आम जनता, प्रसंविदा में उन्हें प्रदत्त अधिकारों का अधिकतम प्रयोग कर सकें। इस हेतु जनसेवाओं तथा संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना राज्य का दायित्व है।

भ्रष्टाचार यह दर्शाता है कि राज्य इस दिशा में सही प्रयास नहीं कर रहा है, जब भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा राज्यनिधि की चोरी की जाती है या जब राज्य के संसाधन, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अभिरक्षा हेतु पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किये जा पाते है। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा-1966 के अनुच्छेद-12 में उच्चतम प्राप्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के अधिकारों का वर्णन है।[16] भ्रष्टाचार, इस अधिकार के प्रयोग को प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप हम स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार को तीन रूपों में देख सकते हैं-वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में (बजट आवंटन में), मरीजों के साथ चिकित्सीय सेवा प्रदाता के संबंध में। इस प्रकार से भ्रष्टाचार, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को इसके उच्चतम स्तर तक प्रापत करने के अधिकार का हनन करता है।

(ग) पर्यावरण एवं विकास संबंधी अधिकार-

सभी व्यक्तियों को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त है। साथ ही उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों के व्यसन और अपने आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का स्वतंत्रतापूर्वक अनुसरण करने का भी अधिकार प्राप्त है।[17] इसके साथ ही व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का भी अधिकार प्राप्त है। ऐसा राष्ट्र, जो कुछ व्यक्तियों के फायदे के लिये प्राकृतिक संसाधनों के स्वत्व को अन्यायपूर्ण रूप से या तो अंतरित करता है अथवा ऐसा होना बर्दाश्त करता है तो वह लोगों के प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग अथवा विकास के अधिकार को, एकल अथवा सामूहिक रूप से निषेधित करता है, तो यह भी भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है।

6. भ्रष्टाचार निवारण के उपाय -

(क) विधिक उपाय - भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन के नवीन प्रयास उस समय हो रहे हैं, जब वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता बढ़ी है। जिस प्रकार से भारत में भ्रष्टाचार ने राजनैतिक, आर्थिक व व्यसायिक स्तर पर नुकसान पहुँचाया है, देश में भ्रष्टाचार निवारण विधियों की महत्ता बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 'करप्शन पारसेप्शन इंडेक्स-2016'[18] में 176 देशों की सूची में भारत को 79वें स्थान पर रखा है। भ्रष्टाचार के कारण अमेरिकी निवेशक भारत को उच्च जोखिम व्यापार केन्द्र मानते हैं। भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार, व्यापार में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा करता है। भारतीय निवेशक भी भारत में व्याप्त भ्रष्ट व्यापारिक माहौल के प्रति संशकित रहते है। ऐसे में भारत की भ्रष्टाचार निवारण विधि का विश्लेषण आवश्यक है-

1. भारत में भ्रष्टचार निवारण विधि-

भारत में भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट कृत्यों से संबंधित विधि, वास्तव में विधियों तथा शासकीय नियमों का एक समूह है। भारत में लोक सेवकों को, भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

1988 के तहत दण्डित किया जा सकता है। बेनामी अंतरण (निषेध) अधिनियम 1988, बेनामी अंतरणों को निषिध्द करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट 2002 लोक सेवकों को, काले धन को वैध बनाने के प्रयासों को दण्डित करता है।[19]

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 169 लोक सेवकों को अवैध रूप से सम्पत्ति खरीदने अथवा उसकी बोली लगाने को दण्डित करती है तथा धारा 409 लोक सेवकों द्वारा आपराधिक न्यास भंग को दण्डित करती हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भारतीय दण्ड संहिता में शामिल लोक सेवक की परिभाषा को और विस्तृत करती है और उसमें कोऑपरेटिव सोसायटी के कर्मचारीगण, जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, लोक सेवा आयोग तथा बैंक के कर्मचारियों को भी शामिल करती है। यदि कोई लोक सेवक किसी शासकीय कृत्य हेतु अथवा किसी अन्य लोक सेवक को प्रभावित करने अथवा पद के प्रभाव का प्रयोग कर आमजन पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने हेतु कोई प्रलाभ प्राप्त करने को भी दण्डनीय बनाया गया है। यदि कोई लोक सेवक, कोई मूलयवान वस्तु, बिना उसका भुगतान किये, अपने शासकीय प्राधिकार में प्राप्त करता है तो उसे 6 माह से 5 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने हेतु केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

बेनामी अंतरण (निषेध) अधिनियम 1988, बेनामी अंतरणों को निषिध्द करता है। बेनामी अंतरण से तात्पर्य है कि कोई सम्पत्ति, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से खरीदी जाये जिसने उस सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किया हो, परन्तु इसमें अपनी पत्नी अथवा अविवाहित पुत्री के नाम से सम्पत्ति खरीदने को अवमुक्त रखा गया है। ऐसी समस्त संपत्तियां जो बेनामी हैं, उन्हें अधिकृत प्राधिकारी द्वारा बिना कोई भुगतान किये अधिग्रहित किया जा सकता है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट 2002 के अनुसार मनी लॉडरिंग का अपराध तब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के आगामों (Proceeds of Crime) की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपराध के आगमों (Proceeds of Crime) से तात्पर्य ऐसी सम्पत्ति से है, जिसे किसी व्यक्ति ने ऐसी आपराधिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त किया हो, जो अधिनियम की अनुसूची में वर्णित है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि निरूध्द अथवा कुर्क की गयी कोई सम्पत्ति, मनी लॉडरिंग में शामिल है अथवा नहीं। न्यायाधिकरण के अवलोकन हेतु सभी बैंकिंग कम्पनियां अथवा वित्तीय संस्थायें, अंतरणों की विशिष्ट प्रकृति, मूल्य एवं अपने समस्त उपभोक्ताओं के विवरण सरंक्षित रखती हैं। इस अपराध के पारित करने पर 3 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 5 लाख रूपये तक के

जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

भारत में भ्रष्टचार संबंधी मामलों की जाँच, अन्वेषण एवं अभियोजन हेतु मख्यतरु तीन संस्थाएं कार्यरत है- केन्द्रीय सर्तकता आयोग (CVC) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), राज्य भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो (ACB)। लोक सेवकों द्वारा मनी लॉडरिंग के मामलों का अन्वेषण एवं अभियोजन, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेन्ट एण्ड फाइनेशियल इंटेलीजेंस यूनिजट, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) तथा राज्य भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो (ACB) भ्रष्टचार के ऐसे मामलों का अन्वेषण करती है, जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किये जायें। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), को मामलों को संदर्भित कर सकती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC), वह शासकीय निकाय है, जो सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार के मामलों का पर्यवेक्षण करता है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (CVO) लोक सेवकों के मामले में आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति करते हैं, परन्तु उस लोक सेवक के विरूध्द की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही का अंतिम निर्णय, संबंधित विभागीय प्राधिकारी ही लेते हैं। अवेषण एजेंसी द्वारा अभियोजन तभी प्रारंभ किया जा सकता है, जब केन्द्र अथवा राज्य सरकार से पूर्व अनुमति ली जा चुकी हो। शासन द्वारा सभी न्यायालयों में तैनात अभियोजक ही अभियोजन कार्यवाही करते है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सभी वादों का विचारण, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

2. भ्रष्टचार निवारण (संशोधन) विधेयक एवं विधि आयोग रिपोर्ट-

भारत द्वारा भ्रष्टाचार के विरूध्द संयुक्त राष्ट्र अभिसमय[20] का दिनांक 12 मई 2011 को अनुसमर्थन करने के पश्चात, भारत सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को इस प्रकार संशोधित करने के प्रयास प्रारंभ किये, ताकि उक्त अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो सकें। इसमें शामिल है- प्राईवेट व्यक्तियों का भी अपराध के लिये अभियोजन, विचारण पूर्ण करने हेतु समय सीमा नियत किया जाना, अपराध में शामिल सम्पत्तियों का कुर्क किया जाना, घूस देने के आपराधिक कत्रत्य का अभियोजन आदि। इस संबंध में वर्ष 2013 में एक संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे पुनर्विचार हेतु स्टैण्डिंग कमेटी को संदर्भित किया गया। स्टैण्डिंग कमेटी ने माह फरवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी संस्तुतियों के आधार पर संशोधन विधेयक भारत के विधि आयोग को प्रेषित किया गया। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट (विधि आयोग रिपोर्ट संख्या 254)[21] माह फरवरी 2015 में प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न संशोधनों की संस्तुतियाँ की गयी।

संशोधित विधेयक में U.K. Bribery Act 2010 के कुछ प्रावधानों को स्वीकार करने, घूस देने

संबंधी कृत्य को आपराधिक बनाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कम्पनियों के अभियोजन को भी शामिल करने की संस्तुति की गयी। विधेयक में नई धारा 7 की संस्तृति की गयी, जिसके तहत लोक सेवक द्वारा किये गये अपराध तथा लोक पद संबंधी कृत्यों के आधार पर प्राप्त किये गये वित्तीय अथवा अन्य लाभों को दण्डनीय बाया गया है। प्रस्तावित धारा 8 में, लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अनुचित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित धारा 9 के अनुसार एक वाणिज्यिक संगठन भी अपराध का दोषी होगा, यदि उस संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ देता है अथवा देने का वादा करता है। धारा 10 (1) के अनुसार यदि कोई वाणिज्यिक संगठन धारा 9 के तहत अपराध को दोषी पाया जाता है, तो उस संगठन के निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध के अभियोजन हेतु दायी होंगे। विधि आयोग ने प्रस्तावित धारा 9 एवं 10 को अग्रिम अधिसूचना तक स्थगित रखने की संस्तुति की है। साथ ही विधेयक में प्रस्तावित कुर्की की प्रक्रिया को संशोधित करने तथा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट 2002 तथा लोकपात एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में प्रस्तावित कुर्की प्रक्रिया को स्वीकार करने की संस्तुति की गयी है। विधि आयोग के अनुसार विरोधाभासी प्रवर्तन तंत्र के बजाय एकल प्रक्रिया लागू करना बेहतर होगा।

3. भ्रष्टाचार संबंधी भारतीय विधिक तंत्र की अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना-

भ्रष्टाचार के विरूध्द संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, घरेलू नियमों तथा विदेशी अधिकारियों से संव्यवहारों के नियमन पर एक सम्पूर्ण अधिसमय है, जिसमें पब्लिक सेक्टर व प्राइवेट सेक्टर के संव्यवहारों, निरोधात्मक कृत्यों तथा कुर्की प्रक्रियाओं का समावेश है। उक्त अभिसमय में कई ऐसी अभिव्यक्तियां शामिल है, जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा संशोधन विधेयक में शामिल नहीं है। अधिसमय में, प्राईवेट सेक्टर में किये गये अपराधों के अभियोजन का प्रावधान है, जबकि संशोधन विधेयक में यह प्रावधान नहीं है। अधिसमय में विधिक व्यक्तियों के दायित्वों का भी उल्लेख है। विधि आयोग के अनुसार वाणिज्यिक संगठनों तथा उसके अधिकारियों के अभियोजन के संबंध में, संशोधन विधेयक में दिशा-निर्देशों का अभाव है। भारत की भ्रष्टाचार निवारण विधियों में, भ्रष्टाचार निरोधक नीतियों एवं व्यवहारों (Anti-Corruption) का अभाव है। साथ ही भ्रष्टाचार के विरूध्द संयुक्त राष्ट्र अधिनियम में, पीड़ित पक्षकार को भ्रष्टाचार के कारण हुये नुकसान का प्रतिकर/हर्जाना प्राप्त करने का भी अधिकार है, जबकि यह तत्व भारत की भ्रष्टाचार निरोधक विधियों में शामिल नहीं है। OECD Guidelines for Multinationals 2011 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में घूस देने अथवा घूस देने को उकसाने अथवा धमकाने को दण्डनीय बनाया गया है और इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश, भ्रष्टाचार निवारण विधियों में शामिल करने का भी निर्देश दिया गया है। OECD Guidelines में इस अपराध के निरोध की प्रक्रिया भी प्रावधानित है, जबकि भारत की विधियों में कम्पनियों के भ्रष्ट संव्यवहारों को नियंत्रित करने के प्रावधान शामिल नहीं है।

(ख) मानवाधिकार ः भ्रष्टाचार का निवारणात्मक तंत्र - भ्रष्टाचार के समस्त रूप चाहे वे प्रत्यक्ष हों अथवा अप्रत्यक्ष, वे दूरगामी रूप से मानवाधिकारों का हनन करते है। जहाँ पर मानवाधिकारों को संरक्षण एवं प्रोन्नति से, भ्रष्टाचार निवारण तंत्र प्रभावी बनेगा।

1. मानवाधिकारों की निश्चिचता ः मानवाधिकारों का अनुपाल निश्चित ही भ्रष्टाचार को रोकने में मदरद करेगा क्योंकि मानवाधिकार, शक्ति के उस दुरूपयोग को रोकता है, जो भ्रष्टाचार का आधार बनता है। मानवाधिकारों का विश्लेषण, समाज के शक्ति संतुलन में मददगार होता है क्योंकि इसे समाज के दुर्बल वर्ग के मध्य विभेदीकरण तथा आर्थिक, विधिक एवं राजनैतिक असमानताओं को दूर करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार मानवाधिकारों का उन्नयन एवं निश्चितता, वास्तव में भ्रष्टाचार निरोधक नीतियों को प्रभावी बनाता है। उदाहरण के लिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा एकत्रित होने एवं संगठन बनाने का अधिकार, भ्रष्टाचार से लड़ने में मददगार होता है। जहाँ कर्मचारियों को जन समीक्षा का डर होगा, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा।

2. अविभेदीकरण एवं भागीदारी सुनिश्चित करना ः मानवाधिकारों के आवश्यक तत्वों एवं नीतियों का प्रवर्तन, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की समस्या को कम करेगा। ये तत्व नीतियाँ हैं-अविभेदीकरण एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। अविभेदीकरण का सिध्दांत मानवाधिकार का मूल आधार है, जिसे लागू करना राज्य के लिये अनिवार्य है। विभेदीकरण, भ्रष्टाचार से सीधी रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि इससे जन संसाधनों के आवंटन को प्रभावित किया जा सकता है। साथ ही विभेदीकरण के द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा अथवा राजनैतिक विचारधारा के आधार पर भ्रष्ट आचरण किया जा सकता है। विभेदीकरण के पीड़ितों पर भ्रष्टाचार का अलग-अलग प्रभाव होता है, जिससे उनके मानवाधिकार प्रभावित होते हैं।

जनभागीदारी भी मानवाधिकार के मूल्य है, जिसमें कई अन्य अधिकार शामिल है। प्रभावी भागीदारी के लिये आमजन को स्वतंत्र रूप से संगठित होना, अपने विचारों को स्वतंत्र होकर आपस में बांटना तथा आपस में सूचना का आदान-प्रदान करना आवश्यक है। नागरिक सहभागिता, दुर्बल वर्गों को अपने अधिकार लागू करने में मदद करती है।

3. अविभेदीकरण एवं भागीदारी सुनिश्चित करना- मानवाधिकारों के आवश्यक तत्वों एवं नीतियों का प्रवर्तन, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की समस्या को कम करेगा। ये तत्व एवं नीतियाँ हैं-अविभेदीकरण एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। अविभेदीकरण का सिध्दांत मानवाधिकार का मूल आधार है, जिसे लागू करना राज्य के लिये अनिवार्य है। अविभेदीकरण का सिध्दांत मानवाधिकार का मूल आधार है, जिसे लागू करना राज्य के लिये अनिवार्य है। विभेदीकरण, भ्रष्टाचार से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि इससे जन संसाधनों के अब आवंटन को प्रभावित किया जा सकता है। साथ ही विभेदीकरण के द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा

अथवा राजनैतिक विचारधारा के आधार पर भ्रष्ट आचरण किया जा सकता है। विभेदीकरण के पीड़ितों पर भ्रष्टाचार का अलग-अलग प्रभाव होता है, जिससे उनके मानवाधिकार प्रभावित होते है।।

जन भागीदारी भी मानवाधिकार के मूल्य है, जिसमें कई अन्य अधिकार शामिल है। प्रभावी भागीदारी के लिये आमजन को स्वतंत्र से संगठित होना, अपने विचारों को स्वतंत्र होकर आपस में बांटना तथा आपस में सूचना का आदान-प्रदान करना आवश्यक है। नागरिक सहभागिता, दुर्बल वर्गों को अपने अधिकार लागू करने में मदद करती है।

3. सामाजिक सशक्तीकरण- मानवाधिकारों की गारंटी से समाज सशक्त होता है क्योंकि इससे आमजन के लिये संसाधनों की बढ़ोत्तरी तथा विकल्पों की उपलब्धता संभव होती है। सामाजिक सशक्तीकरण से राज्य एवं समाज के मध्य, आर्थिक एवं राजनैतिक अवसरों की बढ़ोत्तरी होती है। अतः सामाजिक सशक्तीकरण, भ्रष्टचार निवारण में मददगार होता है।

7. उपसंहार एवं सुझाव - भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये हमारे पास कोई जादुई शक्ति या हथियार नहीं है, किन्तु कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर अमल कर आगे बढ़ने से प्रत्येक नागरिक या सरकार भी भ्रष्टाचार के विरूध्द लड़ने में सक्षम होगी-

(क) भ्रष्टाचार का मुख्य कारण नैतिक मूल्यों का हास है। हमें बच्चों को ईमानदारी, निष्पक्षता जैसे मूल्यों से परिचित कराना चाहिये। जब तक हम स्वयं ईमानदार नहीं होंगे, हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते।

(ख) शिक्षा की मदद से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। कानून, विधिक अधिकार तथा कानूनी प्रक्रिया के प्रति अनभिज्ञता की वजह से एक आम आदमी या अशिक्षित आदमी, भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है।

(ग) पारदर्शिता तथा सूचना का अधिकार अर्थात निष्पक्षता व जानकारी प्राप्त करने की सुलभता हमें भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करेगी।

(घ) किसी सरकारी नौकरी में चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हों। पूरी चयन प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिये, जिससे चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की घपलेबाजी न हो सकें, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

(ड़) सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति का वेतन बढ़ाना चाहिये, जिससे उसे धन के लिये भ्रष्ट तरीके से अपनाने पड़े। साथ ही ये भी नियम होना चाहिये कि यदि कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया

गया तो उसे दण्ड मिलेगा, उसे पदच्युत भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसके विरूध्द पुलिस केस भी दर्ज कराया जा सकता है।

(च) सरकारी तंत्र में कई बार काम के मुकाबले, तैनात व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है। अतः कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये।

(छ) सरकारी दफ्तरों में भी CCTV कैमरे होने चाहिये ताकि कर्मचारियों व अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकें।

(ज) सरकारी विभागों में नियम समय में कार्य समाप्त करने के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये। समय पर काम खत्म करने की अनिवार्यता से कार्य में प्रगति आयेगी।

(इ) कई देशों में वित्तीय प्रबंध तंत्र को मजबूत कर तथा ऑडिट एजेंसी को सशक्त कर भ्रष्टाचार पर रोक लगायी गयी है। इस सुधार में बजट सूचनाओं का खुलासा तथा संसाधनों की बर्बादी रोका जाना शामिल है। अतः लोक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबंधन में सुधार से भ्रष्टाचार की रोकथाम में मदद मिलेगी।

(ट) नेताओं की भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नियत होनी चाहिये। यदि किसी का कोई आपराधिक रिकार्ड हो तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। राजनैतिक पार्टियों को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाना चाहिये।

(ठ) भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये कानून का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। इसके लिये त्वरित न्यायालयों का गठन व भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिये, जो कि भ्रष्टाचार के नियंत्रण में मदद करेगा।

(ड) पुलिस को दो भागों में विभाजित होना चाहिये-एक, अन्वेषण हेतु और दूसरी, लोक व्यवस्था हेतु।

(ढ) व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो, नकदी रहित लेन-देन (Cashless Transaction) करना चाहिये। भुगतान ऑनलाइन होना चाहिये, ताकि उद्योगपति टैक्स चोरी न कर सकें।

(ण) भ्रष्ट उद्योगपतियों की काली सूची में डालना (Blacklisted) चाहिये।

ये सारे प्रयास सभी देशों में सुशासन व प्रगति की स्थापना में सहायक सिध्द होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. गेबए, बी. (2012), *करप्शन एण्ड हयूमन राइट्सः एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप* द्वारा प्रकाशित भारत आर्थिक भूगोल *http://www.du.edu/korbel/hrhw/workingpapers/2012/70-gebeye-2012.pdf.* एसेस 3 सितम्बर 2018.
2. यू, जॉन, करप्शन एज इनजस्टिस (ऑनलाइन) ऐवलेबल- *http://irps.ucsd.edu/assets/001/503060.pdf.* (ऐक्सेस्ड- 3 सितम्बर 2018).
3. ने, जोसफ (1967), करप्शन एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंटः आ कॉस्ट-बेनेफिट एनालिसिस, *अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू,* अंक (I XI) : 417-427.
4. जॉन्सटन, माइकल (1986), द पॉलिटिकल कॉन्सीक्वेन्स ऑफ करप्शनः अरिअसेसमेंट, *कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स,* अंक (18) : 459-477.
5. मिलर, एस., रॉबर्ट, पी., स्पेन्स, ई. (2005), *करप्शन एण्ड एंटी करप्शनः एन अप्लाइड फिलॉसफिकल एप्रोचरु न्यू जर्सी,* पियर्सन प्रेंटिस हॉल.
6. ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल (2009) द एंटी करप्शन प्लेन लैंग्वेज गाइड (ऑनलाइन) ऐवलेबल- *http://www.transparancy.org/whatwedo/publication/the_ant_corruption_plain_Language_guide* (ऐक्सेस्ड-3 सितम्बर 2018).
7. अनुकंसाई, के., करप्शनः द केटालिस्ट फॉर द वॉयलेशन ऑफ हयूमन राइटस (आनलाइन), ऐवलेबल-*http://www.nacc.go.th/images/journal/kanokkan.pdf.* (ऐक्सेस्ड-3 सितम्बर 2018).
8. यू.एन.डी.पी. (2004), एंटी करप्शन प्रैक्टिस नोट (ऑनलाइन) ऐवलेबल-*http:// www.pogar.org/publications/finances/anticor/undp-anti04e.pdf.* (ऐक्सेस्ड-3 सितम्बर 2018).
9. स्टैनफोर्ड इन्साइक्लोपीडिया, कन्सेप्ट ऑफ करप्शन (ऑनलाइन) ऐवलेबल-*http:/www.plato.stanford.edu/entries/corruption/10.*(ऐक्सेस्ड-3 सितम्बर 2018).
10. गेबए, बी., वही, पृष्ठ 6.
11. गेबए, बी., वही, पृष्ठ 9.
12. यू, जॉन, वही, पृष्ठ 13.
13. बेलॉगन, एम. (2003), कॉजेटिव एण्ड इनैबलिंग फैक्टर्स इन पब्लिक इंटीग्रिटीः ए फोकस ऑन लीडरशिप, इंस्टीटयूशन्स एण्ड कैरेक्टर फार्मेशन्सः *पब्लिक इंटीग्रिटी,* अंक (5 नं. 2)ः 127-147.
14. अनुकंसाई, के., वहीं. (2012)